

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 18.08.2025

द्विदिन के दौरान 09 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता मो0 रईस पुत्र शमशुज्जौहा निवासी अन्सार टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 गणेश प्रसाद।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. सुभाष पुत्र लालमन साकिन बूंदीपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. मौसुम्मी दमली पत्नी जोखन साकिन बूंदीपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 03. शिव सरन पुत्र पारस साकिन बूंदीपार थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 04. हेमन्सी पत्नी निरंजन साकिन बूंदीपार थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 05. राजबली यादव पुत्र पारस यादव साकिन बौरव्यास थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 06. सुखू चौहान पुत्र भगवान दास साकिन कुसरुखुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 बबलू प्रसाद का0 जितेश कुमार, हे0का0 आदित्य यादव, का0 बबलू प्रसाद, म0का0 प्रियंका गौड़।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01.राजेश पुत्र कपिल यादव निवासी घूरापाली थाना मेंहदावल 02. अमरेश पुत्र श्रीराम निवासी बढ़या श्यामनगर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शैलेश सिंह, का0 कृष्ण गोपाल, का0 वरुण यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 118 वाहनों से 1,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 118 वाहनों से 1,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 18.08.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अजय सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता प्रद्युम्न पुत्र पारसनाथ निवासी गौसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत घोरखल गैस गोदाम के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 752/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 18.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 188/2021 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

02. मु0अ0सं0 799/21 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 बलराम यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 18.08.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता रजनीश पुत्र कालादेव निवासी गणसरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत गणसरपार से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 753/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 18.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 18/2020 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¼ पाक्सो एक्ट थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

02. मु0अ0सं0 206/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष जायसवाल, हे0का0 ओमप्रकाश, का0 अरुण कुमार, का0 अर्जुन पाल, का0 बलराम यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एकट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 18.08.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एकट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता वीरेन्द्र उर्फ झिनका पुत्र पल्टन साकिन लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत लेडुआ महुआ से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 310/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 18.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, कां0 अंगद यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 580 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त मनोज प्रजापति पुत्र नन्द लाल प्रजापति साकिन भण्डा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 18.08.2025 को बारीडीहा प्राथमिक विद्यालय के पास से कुल 580 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनोज प्रजापति पुत्र नन्द लाल प्रजापति साकिन भण्डा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 393/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 580 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अनिल यादव, कां0 विनय सिंह, कां0 आशुतोष पाण्डेय।

****“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में**

02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6000 रु0 के अर्धदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.08.2025 को

मा0न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3000-3000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 14ए/2003 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 01. रंगीलाल पुत्र रामसुखावन 02. बजरंगी पुत्र सुखावन निवासीगण बरईपार पैठान थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध के आधार पर अभियुक्तगण को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध चलाया गया अभियान,

01 कुंतल लहन किया गया नष्ट

10ली0 अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घोरंग में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 01 कुंतल अवैध लहन को नष्ट करते हुए 10 ली0 अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 395/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर ।

2.मु0अ0सं0 396/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण

1. लालजी पुत्र सम्पत साकिन घोरंग थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर ।

2. जवाहर पुत्र स्व0 विश्वनाथ राय साकिन जखौता थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर ।

बरामदगी का विवरण: -

01. 01 कुंतल अवैध लहन ।

02.05-05ली0(कुल 10 ली0) अवैध देशी कच्ची शराब ।

पुलिस टीम का विवरण: -

प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण मिश्र, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह , उ0नि0 श्री देवप्रयाग सिंह , हे0का0 सोनू पटेल , का0 जितेन्द्र यादव , का0 महेन्द्र निषाद , का0 संदीप यादव ,का0 मनोज यादव , का0 विक्रम कुमार शाह , का0 सोनू कुमार , ,का0 सचिन्द्र मौर्या , का0 अनूप कुमार व म0का0 प्रिया तिवारी ।